रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2012/चैत्र 7, 1934

No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2012/CHAITRA 7, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

सं. 105/2009—2014(आर ई-2010)

विषय : 4% सीवीडी (एसएडी) को रिक्रेडिट करने के लिए डीईपीबी/रिवार्ड स्क्रिप्स की वापसी/पुनर्वैधता की प्रक्रिया ।

फा. सं. 01/94/180/डीईपीबी-एसएडी रिक्रेडिट/एएम 10/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1), 2009—2014 के पैराग्राफ 2.13.2क को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं :—

"केवल सीमा-शुल्क के 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क के रिक्रेडिट के उपयोग के प्रयोजन के लिए मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (डीईपीबी सहित) को 30-6-2012 तक पुन: मान्य कर दिया गया मान लिया जाएगा । संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे स्क्रिपों की निम्न परिस्थितियों में पुन: अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी :-

(i) यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा 15-9-2011 को अथवा उससे पूर्व अनुमोदन दिया गया हो किन्तु रिक्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया हो;

अथवा

(ii) यदि सीमा-शुल्क विभाग द्वारा 1-9-2011 से 30-4-2012 के बीच समेकित प्रमाणपत्र (साख-पत्र) जारी किया गया हो । ऐसे मामलों में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा समेकित प्रमाणपत्र में दर्शायी गई राशि को रिक्रेडिट कर दिया मान लिया जाएगा ।"

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

यह सौदा लागत और प्रक्रिया संबंधी बोझ को कम करेगा क्योंकि यह पुनर्वैधता के अनुमोदन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता के बिना रिक्रेडिट के उपयोग को सुसाध्य बनाएगा ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th March, 2012

No. 105/2009—2014(RE-2010)

Subject : Procedure for refund/revalidation of DEPBs/Reward Scrips for re-credit of 4% CVD (SAD).

F. No. 01/94/180/DEPB-SAD Re-credit/AM 10/PC-4.—In exercise of the powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009—2014, the Director General of Foreign Trade hereby replaces Paragraph 2.13.2A of the Hand-book of Procedures (Vol. 1), 2009—2014 by the following :—

"Only for the purpose of utilisation of re-credit of 4% Special Additional Duty (SAD) of customs, the freely transferable duty credit scrips (including DEPB), shall be deemed to have been revalidated till 30-6-2012. No further endorsement of such scrips by the respective RA shall be required under the following circumstances :—

(i) if the endorsement has been made by Regional Authority on or before 15-9-2011 but the re-credit remains unutilised;

OR

(ii) if the consolidated certificate (Credit Note) have been issued by Customs between 1-9-2011 to 30-4-2012. In such scrips, the amount indicated in the consolidated certificate by customs shall be deemed to have been recredited."

Effect of Public Notice :

This will reduce the transaction cost and procedural burden as it will facilitate utilisation of re-credit without requiring it to be presented to RA of DGFT for an endorsement of revalidation.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.